NAME	PLACE	DATE
Nava Bharat	Indore	27.08.2019

मराल ओवरसीज़ लिमिटेड

सीआईएन: L17124MP1989PLC008255
पंजीकृत कार्यालयः मराल सरोवर, ग्राम एवं पोस्ट खलबुर्जुग, तहसील कसरावाद, जिला खरगोन-451660 (म.प्र.)
फोनः +91-07285-265401 & 265405, फैक्सः +91-07285-265406
कॉर्पोरेट कार्यालय : भीलवाड़ा टॉवर्स, ए-12 सेक्टर-1, नोएडा - 201301 (उ.प्र.),
फोनः +91-120-4390300 (EPABX), फैक्सः +91-120-4277841
ईमेल: maral.investor@lnjbhilwara.com, वेबसाइट: www.maraloverseas.com

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों की 30वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) बृहस्पतिवार, 19 सितम्बर, 2019 को 11:00 बजे पूर्वाह्न 30वीं एजीएम की 6 अगस्त, 2019 के सूचना में विदित सामान्य एवं विशेष व्यवसायों के निष्पादन हेतु कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय, मराल सरोवर, ग्राम एवं पोस्ट खलबुर्जुग, तहसील कसरावाद, जिला खरगोन - 451660, मध्य प्रदेश में आयोजित की जाएगी।

एजीएम की सूचना के साथ वित्तीय वर्ष 2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सभी सदस्यों को जिनका ई-मेल पता कम्पनी अथवा डिपोज़िटरी पार्टिसिपेंट(ओं) के साथ पंजीकृत है, भेज दी गई हैं। एजीएम की सूचना के साथ वित्तीय वर्ष 2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति सभी अन्य सदस्यों को उनके पंजीकृत पते पर अनुमत माध्यम से भेजी जा चुकी हैं। कथित सूचना का प्रेषण, इलेक्ट्रॉनिक तथा भौतिक दोनों माध्यम से, 26 अगस्त, 2019 को पूर्ण कर लिया गया है। एजीएम की सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट **www.maraloverseas.com** एवं एनएसडीएल की वेबसाइट **https://www.evoting.nsdl.com** पर भी उपलब्ध है और अवतरित की जा सकती है। वे सदस्य जिन्हें सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, वे उपरोक्त वेबसाइट से अवतरित कर सकते हैं अथवा इसकी प्रति हेतु कम्पनी से अनुरोध कर सकते हैं।

कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर तथा शेयर हस्तान्तरण पुस्तकें शुक्रवार, 13 सितम्बर, 2019 से बृहस्पतिवार, 19 सितम्बर, 2019, (दोनों दिवस सम्मिलित) तक बन्द रहेंगी।

कम्पनी हर्ष के साथ यह भी सूचित करती है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित कम्पनी (प्रबधन एवं संचालन) नियम, 2014, के नियम 20 जो कि कम्पनी (प्रबधन एवं संचालन) संशोधित नियम, 2015 के द्वारा प्रतिस्थापित सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड–2 एवं सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) संशोधित नियम 2015, (''संशोधित नियम 2015'') के विनियम 44 के अनुपालन में कम्पनी अपने सदस्यों को सूचना में निहित सभी प्रस्तावों पर, नेशनल सिक्यूरिटीज़ डिपॉज़िटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक तौर पर मतदान करने की सुविधा प्रदान कर रही है। रिमोट ई-वोटिंग की अवधि सोमवार, 16 सितम्बर, 2019 को प्रातः 9:00 बजे आरम्भ होगी तथा बुधवार, 18 सितम्बर, 2019 को सायं 5:00 बजे समाप्त होगी। रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल बुधवार, 18 सितम्बर, 2019 को संध्या 5:00 बजे के पश्चात् निष्क्रिय कर दिया जाएगा। उसके पश्चात् ई-वोटिंग मॉड्यूल एनएसडीएल द्वारा वोटिंग हेतु निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

अंशधारक द्वारा एक प्रस्ताव पर मतदान करने के पश्चात् अंशधारक को उन्हें बदलने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई व्यक्ति सूचना के प्रेषण के पश्चात् परन्तु कट ऑफ तिथि अर्थात् 12 सितम्बर 2019 के पूर्व कम्पनी का सदस्य बनता है तो वह एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड को उनके ई-मेल पतेः **admin@mcsregistrars.com** अथवा **evoting@nsdl.co.in** पर ई-मेल भेज सकते है। वे सदस्य जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान नहीं कर रहे हों, वे वार्षिक साधारण बैठक में मतपत्र द्वारा मतदान कर सकते हैं। वे सदस्य जिन्होंने बैठक के पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान कर लिया हो वे भी बैठक में उपस्थित हो सकते हैं परन्तु उन्हें पुनः मतदान का अधिकार नहीं होगा।

वह व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉज़िटरीज़ द्वारा अनुरक्षित लाभ भोगी स्वामियों के रजिस्टर में 'कट-ऑफ' तिथि अर्थात् 12 सितम्बर 2019 को दर्ज हो मात्र वे रिमोट ई-वोटिंग सुविधा अथवा वार्षिक साधारण बैठक में मतपत्र के माध्यम से मतदान करने हेतु अधिकृत होंगें। ई–वोटिंग की प्रक्रिया एजीएम सूचना में भी उल्लिखित है। ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न हेतु **www.evoting.nsdl.com** पर सदस्यों हेतु उपलब्ध **Frequently Asked Questions** (FAQs) एवं अंशधारकों हेतु ई-वोटिंग युजर मैनुअल संदर्भित कर सकते हैं अथवा टॉल फ्री नं. 1800-222-990 पर कॉल कर सकते है एवं श्री अमरजीत, वरिष्ठ प्रबधक, एमसीएस शेयर टांसफर एजेंट लिमिटेड से फोनः 011–41046148, 41406149 अथवा ई-मेल **admin@mcsregistrars.com** पर सम्पर्क किया जा सकता है।

निदेशक मंडल ने श्री प्रणव कुमार, संव्यवसायिक कम्पनी सचिव (सदस्यता संख्या FCS 5013) को एक निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग प्रक्रिया की जाँच हेतु संवीक्षक नियुक्त किया है।

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते **मराल ओवरसीज़ लिमिटेड**

विरेन्द्र कुमार गर्ग
कम्पनी सचिव
एफसीएस –7321

स्थान : नोएडा (उ.प्र.)
दिनांक : 26 अगस्त, 2019